



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14072026-274483
CG-MH-E-14072026-274483

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 448]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 10 जुलाई, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/313- बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11(1), धारा 11(2)(खक) एवं धारा 11(2)(ग) तथा धारा 12(1) एवं धारा 12(1ख) के साथ पठित धारा 30(1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-

I. विनियम 12(1) में, शब्दों तथा चिह्नों “आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि, बोर्ड के पास स्थानन ज्ञापन दाखिल किये जाने के अध्यक्षीन, स्कीमें आरंभ कर सकेगी।” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ए.आई.एफ. (आनुकल्पिक निवेश निधि) बोर्ड के पास प्लेसमेंट मैमोरेण्डम दाखिल करने और दूसरी अनुसूची में बताई गई फीस जमा कराने के बाद स्कीमें ला सकेगा:” आ जाएँगे; और

II. विनियम 12 (1) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि ए.आई.एफ. द्वारा लाई जाने वाली पहली स्कीम के मामले में स्कीम फीस अदा करने की जरूरत नहीं होगी।”

III. विनियम 12(2) में,

- i. शब्दों “तीस दिन” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “दस कार्य-दिवस” आ जाएँगे;
- ii. शब्दों तथा चिह्न “दूसरी अनुसूची में यथा निर्धारित फीस भी लगाई जाएगी:” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “बोर्ड द्वारा बताए गए दस्तावेज भी लगाए जाएँगे।” आ जाएँगे; और
- iii. उप-विनियम (2) के बाद दिया हुआ परंतुक हट जाएगा।

IV. विनियम 12(3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्, -

“(3) उप-विनियम (2) में बताए गए दस्तावेज बोर्ड के पास दाखिल करने के बाद, बोर्ड मर्चेन्ट बैंकर या प्रबंधक (मैनेजर) को अपनी टिप्पणियाँ (यदि कोई हों) सूचित कर सकेगा।”

V. विनियम 12(3) के बाद और विनियम 12(3) के परंतुक से पहले, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

“(3क) मर्चेन्ट बैंकर या प्रबंधक (मैनेजर) यह सुनिश्चित करेगा कि उप-विनियम (3) के अनुसार जो टिप्पणियाँ सूचित की जाएँ, उन पर अमल कर लिया जाए:”

VI. विनियम 12(3) के बाद दिए हुए परंतुक में, शब्दों, चिह्नों तथा अंक “एवं उप-विनियम (3) के तहत दी हुई अपेक्षाएँ अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए ‘अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड’ (लार्ज वैल्यू फंड) के प्रति लागू नहीं होंगी” के स्थान पर चिह्न, शब्द तथा अंक “, उप-विनियम (3) और उप-विनियम (3क) के तहत दी हुई अपेक्षाएँ “केवल अक्रेडिटिड निवेशकों हेतु बनाए गए फंड” (अक्रेडिटिड इन्वेस्टर्स ओनली फंड) के मामले में लागू नहीं होंगी” आ जाएँगे।

VII. विनियम 19घ(4) में दिए हुए शब्द “मर्चेन्ट बैंकर के जरिए” हट जाएँगे।

VIII. विनियम 19घ (5) हट जाएगा।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./217/2026-27]

टिप्पणी:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 (अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262) 21 मई, 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2026 (सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/303) द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 10th July, 2026

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS)
(SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2026**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/313.— In exercise of the powers conferred by Section 30(1) read with Section 11(1), Section 11(2)(ba), Section 11(2)(c), Section 12(1) and Section 12(1B) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely, –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2026.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, –
 - I. In regulation 12(1), the symbol “.”, shall be substituted with the words and symbol “along with the fees as specified in the Second Schedule:”
 - II. After regulation 12(1), the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that payment of scheme fees shall not apply in case of launch of first scheme by the Alternative Investment Fund.”
 - III. In regulation 12(2),
 - i. the words “thirty” shall be substituted with “ten working”;
 - ii. the words and symbol “fees as specified in the Second Schedule:” shall be substituted with “documents specified by the Board.”; and

iii. the proviso after regulation 12(2) shall be omitted.

IV. Regulation 12(3) shall be substituted with the following, namely, -

“(3) After the documents specified under sub-regulation (2) are filed with the Board, the Board may communicate its comments, if any, to the merchant banker or the Manager.”

V. After regulation 12(3) and before the proviso to regulation 12(3), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(3A) The merchant banker or the Manager shall ensure that the comments provided under sub-regulation (3) are complied with.”

VI. In the proviso after regulation 12(3), the words and symbols “and (3) shall not apply to large value fund for accredited investors” shall be substituted with “, (3) and (3A) shall not apply to Accredited Investors only fund”.

VII. In regulation 19D(4), the words “through a merchant banker” shall be omitted.

VIII. Regulation 19D(5) shall be omitted.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./217/2026-27]

Note:

The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 was published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262 and was last amended by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2026 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/303.